



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 29, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-51

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	901-902	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	377-380	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	467-472	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्य-806/XX-4/2025-92585-जबकि, उत्तराखण्ड राज्य सरकार, एतद्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुपालन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 की अधिनियम सं. 21) [सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (वर्ष 2009 की अधिनियम सं. 10) द्वारा यथासंशोधित] के तहत किए गए अपराधों और अपराधों के श्रेणियों तथा ऐसे एक या अधिक अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र तथा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध/अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में करने की अपनी सहमति देती है।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 806/XX(4)/2025-92585 Dated- December 16, 2025 for general information.

NOTIFICATION

December 16, 2025

No. 806/XX(4)/2025-92585--Whereas, the State Government of Uttarakhand, in pursuance of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 hereby gives its consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Uttarakhand for investigation of the offences or classes of offences under Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000) as amended by the Information Technology (Amendment) Act, 2008 (Act No. 10 of 2009) and attempt, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences and any other offence(s) committed in the course of same transaction or arising out of same facts.

This notification shall come into force with immediate effect.

SHAILESH BAGAU LI,

Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 29, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 01, 2025

No. 346/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 46 days w.e.f. 19.08.2025 to 03.10.2025.

NOTIFICATION

December 01, 2025

No. 347/XIV-a/31/Admin.A/2012--Shri Sayed Gufran, Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 29.09.2025 to 10.10.2025 with permission to prefix 28.09.2025 as Sunday and suffix 11.10.2025 & 12.10.2025 as second Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

December 01, 2025

No. 348/XIV/a-37/Admin.A/2021--Ms. Jahan Ara Ansari, the then Civil Judge (Jr. Div.), Champawat presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Jaspur, District U.S. Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 30.06.2025 to 13.07.2025.

NOTIFICATION*December 01, 2025*

No. 349/XIVa-41/Admin.A/2021--Shri Devansh Rathore, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 18.08.2025 to 01.09.2025 with permission to prefix 15.08.2025 to 17.08.2025 as Independence day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday.

NOTIFICATION*December 01, 2025*

No. 350/XIV/a-28/Admin.A/2022--Shri Ishank, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 07.10.2025 to 09.10.2025.

NOTIFICATION*December 01, 2025*

No. 351/XIV-a-37/Admin.A/2020--Shri Anurag Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 13 days w.e.f. 19.08.2025 to 31.08.2025.

NOTIFICATION*December 02, 2025*

No. 352/XIV-a-38/Admin.A/2016--Ms. Krishtika Gunjyal, Civil Judge (Jr. Div.), Kichha, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 09.10.2025 to 18.10.2025 with permission to suffix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays.

NOTIFICATION*December 02, 2025*

No. 353/XIV/a-36/Admin.A/2021--Ms. Aaysha Farheen, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 17.10.2025 to 15.11.2025 with permission to suffix 16.11.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*December 02, 2025*

No. 354/XIV-a-23/Admin.A/2010--Shri Sahdev Singh, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 15.11.2025 to 20.11.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,HIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION*July 10, 2025*

No. 1473/III-B-2009-10(IV)/SLSA/2025--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and in pursuance of the recommendation letter no. 4242, dated 09th July, 2025 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Chairmen, Permanent Lok Adalats in the districts mentioned against their names:-

No. 1470 /III(2)-B-2009-10/SLSA/2025**Date: 10 July, 2025**

Ms. Neetu Joshi, Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, vice Shri Dharam Singh.

No. 1471 /III(5)-B-2009-10/SLSA/2025**Date: 10 July, 2025**

Ms. Kusum, F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Haridwar is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal, in the vacant post.

No. 1472 /III(3)-B-2009-10/SLSA/2025**Date: 10 July, 2025**

Shri Sudhir Tomar, F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Haldwani, District Nainital is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital, in the vacant post.

Note:- In light of the direction of the Hon'ble High Court, the above orders will come into force w.e.f. 15.07.2025.

NOTIFICATION

July 10, 2025

No. 1480/I-H-1/2012/SLSA/2025--In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation letter no. 4248, dated 09th July, 2025 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretaries, District Legal Services Authorities in the districts mentioned against their names:-

No. **1476 /III-A-02/SLSA/2025**Date: **10 July, 2025**

Ms. Anita Kumari, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar, vice Shri Jayendra Singh.

No. **1477/III-A-10/SLSA/2025**Date: **10 July, 2025**

Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag, vice Shri Ravi Ranjan.

No. **1478 /III-A-08/SLSA/2025**Date: **10 July, 2025**

Ms. Nazish Kaleem, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal, vice Shri Akram Ali.

No. **1479 /III-A-13/SLSA/2025**Date: **10 July, 2025**

Shri Sachin Kumar, 7th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi, vice Ms. Shweta Rana Chauhan.

Note:- In light of the direction of the Hon'ble High Court, the above orders will come into force w.e.f. 15.07.2025.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member-Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/527-भाग 1-क-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 29, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम NAYAYSHALI D/O NARENDRA KUMAR SHARMA था। लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम NAYAYSHALI से बदलकर DEEKSHA BOSE कर लिया है। जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 738096921360 व पेन कार्ड नं. BXVPB3714P में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे DEEKSHA BOSE W/O SUDEEP BOSE के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

DEEKSHA BOSE W/O SUDEEP BOSE
निवासी पी-620 पारश्वनार्थ टावर ज्वालापुर
जूरस कंट्री जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

विवाह से पूर्व मेरा नाम—किरण देवी पुत्री श्री पान सिंह था। विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम—किरण देवी से बदलकर किरण देवी क्षेत्री कर लिया है जो मेरे आधारकार्ड नं. 952219361276 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे किरण देवी क्षेत्री पत्नी श्री गोविन्द सिंह क्षेत्री के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

किरण देवी क्षेत्री पत्नी श्री गोविन्द सिंह क्षेत्री
निवासी—न्यू गढ़वाल कॉलोनी, बालावाला देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

ACCORDING TO my son's birth certificate number 20110 70 9217 regisitation date 16.07.2011 and Aadhar card Aadhar Card number 247307361848, the name Aviral Thapliyal has been wrongly mentioned, whereas the correct name of the son is Kartikey Thapliyal. In future, my son should be known by the name Kartikey Thapliyal, which is justified to be mentioned like this.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Arvind Thapliyal,
son of Diwakar Prasad Thapliyal,
resident of F 26 THDC Colony, near Bengali Kothi,
Dehradun

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 8187-7051-2903 में त्रुटिवश मेरा नाम भोपाल सिंह गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम भूपाल सिंह भण्डारी है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 909650 व पैन कार्ड नं0 CJVPB1158E में भी दर्ज। भविष्य में मुझे भूपाल सिंह भण्डारी पुत्र दीवान सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

भूपाल सिंह भण्डारी
निवासी 154 अजबपुर खुर्द देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र SATYAM KUMAR के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25140822 में त्रुटिवश पुत्र की माता का नाम ANSHU DEVI गलत दर्ज हो गया है। जबकि पुत्र की माता का सही नाम ANSHU RANI है। जो पुत्र के स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK02D0M0600/180019616 में भी दर्ज है। भविष्य में पुत्र की माता का सही नाम ANSHU RANI पढ़ा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरविन्द कुमार पुत्र महावीर सिंह
निवासी अंगदपुर ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 960266545344 में त्रुटि वश उसका नाम एलिना (Alina) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जानवी (JANVI) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र संख्या B-2021:9-00461-000047 में दर्ज है। मेरी पुत्री को जानवी (JANVI) पुत्री श्री राजेश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजेश कुमार
निवासी ढंडेरा रुडकी, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

As per My daughter's 10th Mark Sheet (ICSE BOARD Unique No. 8583676) her incorrect name mistakenly recorded as VANSHIKA whereas as per Adhaar No. 516429670507 & Birth Certificate No. 51 her correct name is VANSHIKA BARCHIWAL. In future, she should be known as VANSHIKA BARCHIWAL D/o ANIL KUMAR.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ANIL KUMAR
90, Milap Nagar, Distt. Haridwar,
Uttarakhand

सूचना

मैं शहजाद हसन पुत्र महमूद हसन निवासी भुङ्डी, शिमला बाईपास रोड, कारबारी ग्रान्ट, देहरादून। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र में उसका नाम नोमान हसन गलत दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आरिश हसन नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शहजाद हसन पुत्र महमूद हसन
निवासी भुङ्डी, शिमला बाईपास रोड,
कारबारी ग्रान्ट, देहरादून।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 317130868915 में त्रुटिवश उसका नाम ईरम (ARAM) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ईलम (ELAM) है। जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 25114180 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को ईलम (ELAM) पुत्री श्री मतलूप हसन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मतलूप हसन
निवासी-पो.-भानियावाला कांडर वाला
डोईवाला देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम Ritu kashyap पुत्री Jagdish Prasad था, जो मेरे रिलायंस इंश्योरेंस पॉलिसी संख्या 12129489 में भी दर्ज है लेकिन शादी के उपरांत मैंने अपना नाम Ritu Kashyap से बदलकर Ritu Manocha कर लिया है। जो मेरे आधार कार्ड नं. 867497524066 में भी दर्ज है, भविष्य में मुझे Ritu Manocha W/o Anurag Manocha के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ritu Manocha W/o Anurag Manocha
निवासी-719, निर्धन निकेतन हर की पौड़ी
निकट वैद प्रकाश की हवेली भीमगोडा
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 845336552821 में उसका नाम सेरिश (Shehrish) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम सेरिश (Shehrish) से बदलकर सैरिश शाह (Sairish Shah) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 892 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सैरिश शाह (Sairish Shah) D/o Shahnwaz Ahmed के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shahnwaz Ahmed

निवासी—मौहलूला किला मंगलौर हरिद्वार

उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं दयानन्द यादव पुत्र बिजय यादव निवासी विजयपुर, हाथीबडकला, नयागांव, गोपिवाला, देहरादून। मेरे पुत्र के केन्द्रीय विद्यालय हाथी बडकला के विद्यालय रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम Luvekush Kumar गलत दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम Lovekush Yadav है, जो उसके आधार कार्ड में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दयानन्द यादव पुत्र बिजय यादव

निवासी विजयपुर, हाथीबडकला,

नयागांव, गोपिवाला, देहरादून।

सूचना

मेरे पुत्र PIYUSH RANA के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25124346 में त्रुटिवश माता का नाम SAJNI RANA व पिता का नाम LT KULBEER SINGH गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम SAJANEE RANA है। जो आधार कार्ड नं. 613101159044 व पिता का सही नाम KULVEER SINGH RANA है। जो पेन कार्ड नं0 BJPPR4134M में भी दर्ज है। भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SAJANEE RANA W/o KULVEER SINGH RANA

निवासी—म0नं0 38 गोकुल धाम कॉलोनी सुभाष नगर

नियर पी0ए0सी0 गेट नं0 03, ज्वालापुर टाउन हरिद्वार,

उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी, पुत्री RAUMITA WADHWA के हाईस्कूल अनुक्रमांक-25102848 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक-25602821 में त्रुटिवश माता का नाम-RUCHIKA गलत दर्ज है। जबकि माता का सही नाम-RUCHIKA WADHWA है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0. 20040807803 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को RAUMITA WADHWA D/O RUCHIKA WADHWA के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RUCHIKA WADHWA
W/O VIPIN KUMAR WADHWA
निवासी-406 लेन नं0. 13, मोहित नगर
पो0ओ0 न्यू फारेस्ट देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे KARNATAKA BANK ACC. No. 3352500101145701 में घरेलू नाम MONI गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम RESHMA KUMARI है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 0226479 व आधार कार्ड नं. 710012369287 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे RESHMA KUMARI पुत्री श्री रामाधार सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रेशमा कुमारी निवासी 487
ढालवाला पो0ओ0 मुनिकीरेती
टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री सृष्टि जोशी के आधार कार्ड नं0 541968066356 में त्रुटिवश उसकी जन्म तिथि 05-10-2007 गलत अंकित हो गयी है। जबकि मेरी पुत्री की सही जन्म तिथि 05-10-2010 है। जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 24032944 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 बी-2023: 5-02514-000015 एवं उप जिलाधिकारी चकराता दिनांक 25-06-2025 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री की सही जन्म तिथि 05-10-2010 पढ़ी व मानी जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सूरत राम जोशी
निवासी-ग्राम मझगाँव, पो0 ओ0 भिन्डाल,
तहसील चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।